निजी स्कूल संचालकों का शिक्षा की बजाय कमाई मात्र से मतलब

स्कूली बच्चों व उनके अभिभावकों को किया जा रहा गुमराह, एक ही कमरे में संचालित हो रही कक्षा-1 से 12 तक की कक्षाएं

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। सबसे ज्यादा समस्या निजी स्कूल संचालकों द्वारा देखी जा रही है। जहां संचालकों ने नियमों को ताक पर रखकर एक नहीं बल्कि कई स्कूल खोलकर मोटी फीस वसूली जा रही है।

अफसोस जनक बात यह है कि ऐसे ज्यादातर स्कूलों के पास बोर्ड परीक्षा की मान्यता नही रहती है, लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर स्कूली बच्चों व उनके अभिभावकों को गुमराह किया जाता है। ऐसे मामलों का खुलासा तो तब होता है जब बच्चों की परीक्षाएं सिर पर होती हैं उनका परीक्षा केंद्र दूसरी जगह बनाया गया है। लिहाजा छात्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग की गाइड लाइन की पालन नहीं किया जाता है।

क्या है नियम:- किसी भी स्कूल को शुरू करने के दौरान जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उसे पूरा कर पाना हर किसी के लिये संभव नहीं है। ऐसे मे बीच का रास्ता ले देकर निकाल लिया जाता है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक किसी भी नये या फिर पुराने स्कूल में पर्याप्त रोशनी, पानी, बैठक व्यवस्था के अलावा साइंस व कम्प्यूटर के लैब, खेल का मैदान इत्यादि होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो ज्यादातर स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र व ग्रामीण अंचलों में यह समस्या बराबर बनी हुई है। निजी स्कूल संचालकों द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को नजराना देकर मान्यता ले लेते हैं।

इस तरह की स्कूल शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से बढ़ रही है। जहां पर स्कूल संचालक के पास केवल एक ही कमरा है और उसकों कक्षा पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती है। जहां स्कूल के पास न ही खेल का मैदान है और न ही लैब, पानी आदि की व्यवस्था भी नहीं होती है। फिर स्कूल को बड़े ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। स्कूल मे पढ़ाने वाले शिक्षकों की कम से कम योग्यता स्नातक की होनी चाहिए। जबकि पढ़ाने वाले शिक्षक 10 वीं, 12 वीं पास होते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बोर्ड के छात्रों को क्या शिक्षा देंगे।

होती है छेड़खानी

शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण अंचलों सभी स्थानों मे स्कूल का संचालन ऐसे जगह किया जाना चाहिए। जहां बच्चों को आने जाने में सुविधा हो। जबकि ऐसे कई स्कूल हैं जो बस स्टैंड, टैक्सी स्टैण्ड, शराब दुकान आदि के पास संचालित हो रही है। जहां पर जहा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है और वहां आने जाने वाली स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करते हैं और यदि दूसरे छात्रों इसका विरोध किया जाता है तो उने साथ मारपीट की जाती है और पास के थाना क्षेत्रों मे इसकी शिकायत की जाती है

जैतूपुरा में लाखों की चोरी, नकदी एवं जेवर किए पार

नवभारत न्यूज

अमानगंज 15 जून। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैतूपुरा में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

13-14 जून की दरमियानी रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। इस दुस्साहसिक चोरी ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है।

गहरी नींद में सोता रहा परिवार, चोरों ने खंगाली अलमारी - फरियादी बाबूलाल गर्ग उम्र 78 वर्ष ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि घटना की रात परिवार के सभी सदस्य अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी के ताले तोड़कर कीमती जेवरातों पर हाथ साफकर दिया। इतना ही नहीं, चोर घर में रखी दो पेटियां भी उठाकर ले गए, जो बाद में गांव से दूर खेतों में खुली हुई अवस्था में मिलीं।

लाखों की संपत्ति चोरी होने का अनुमान

पीड़ित परिवार के अनुसार, चोरों ने छोटी बहू की अलमारी से चांदी की करधनी, तीन जोड़ी पायल, बिछिया, चांदी की चेन, सोने की दो अंगूठी, लॉकेट, झुमकी, बेदी और मंगलसूत्र चोरी कर लिए हैं। इसके अलावा मझली बहू की पेटी भी गायब है। हालांकि अभी चोरी गए सामान का सटीक वजन और मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन परिवार का अनुमान है कि चोरी हुए जेवरातों की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपये के बीच है।

लोकसभा निर्वाचन में प्रयुक्त ईव्हीएम की शिफ्टिंग 19 को

जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनैतिक दलों की होगी उपस्थिति

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान मतदान में प्रयुक्त ईव्हीएम को कलेक्ट्रेट स्थित वेयरहाउस में विधानसभावार भण्डारित कक्ष से निकालकर बड़े हॉल में रखवाया जाना है।

यह कार्रवाई शुक्रवार, 19 जून को राजनैतिक दल की उपस्थिति में संपादित की जाएगी। गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन का निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई याचिका दायर नहीं होने के कारण ईव्हीएम मशीन की शिफ्टिंग की जाना है। इस मौके पर दोपहर 12 बजे ईव्हीएम गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में किया जाएगा।

ईव्हीएम शिफ्टिंग एवं निरीक्षण कार्यवाही के दौरान संबंधितजनों से उपस्थित रहने की अपील की गई है।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक के अवसर पर विभागवार लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

इस मौके पर उन्होंने आगामी 18 जून तक अनिवार्य रूप से सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतों के तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी नगरीय निकायों में पात्रजनों के स्वनिधि योजना के फॉर्म भरवाने तथा नवीन शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों को यूसीसी के संबंध में अपना मत देने के लिए प्रेरित करें।

सभी शासकीय सेवक और परिवारजन भी अपना अभिमत दर्ज कराएं। टीएल बैठक में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के गरिमामय आयोजन के लिए अधिकाधिक संख्या में व्यक्तिगत और संस्थागत पंजीयन के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन भी सहभागी बनें। ग्रामीण क्षेत्र में सभी जनपद पंचायत सीईओ को प्रमुख योग स्थल के चिन्हांकन के संबंध में निर्देशित कर योग कार्यक्रम में सर्वसमाज की अनिवार्यत: उपस्थिति की अपेक्षा की गई। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। इस वर्ष जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण के साथ स्थानीय महाराज सागर तालाब परिसर में भी प्रस्तावित है।

टीएल बैठक में पंचायतों के बकाया बिजली बिल जमा कराने सहित महाराज सागर तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए आवश्यक सहयोग तथा आगामी समय में पौधरोपण कार्ययोजना के संबंध में जरूरी सुझाव प्राप्त कर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

जिले में 79 फीसदी गर्भवती महिलाओं की नहीं हो पा रही हैं चार जरुरी जांचें

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। जिले में सुरक्षित मातृत्व अभियान कागजों में सिमटता नजर आ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की नियमित एएनसी (एंटीनटल चेकअप) जांच नहीं हो पाने से मातृ स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट में हैं।

हालात यह हैं कि प्रसव से पहले होने वाली चार अनिवार्य जांच केवल 21.89 प्रतिशत गर्भवती की ही हो सकी हैं, जबकि 79 प्रतिशत महिलाएं अब भी पूरी जांच से वंचित हैं। इससे समय पर जोखिम का पता नहीं चलने से मातृ मृत्यु के मामलों में कमी नहीं आ पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जिले में 22,333 गर्भवती के एएनसी पंजीयन का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 4,260 महिलाओं की ही सभी चार अनिवार्य जांच पूरी हो सकी। बाकी हजारों गर्भवती की नियमित स्वास्थ्य निगरानी तक नहीं हो पाई।

जांच की स्थिति - पंजीयन का लक्ष्य - 22333, सभी चार एएनसी जांच - 4260,एएनसी जांच का प्रतिशत - 21.89

देर से अस्पताल पहुंचने पर बढ़ जाता है खतरा - स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच नहीं होने से गर्भवती महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता। ऐसे में जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जिले में सामने आ रहे अधिकांश मातृ मृत्यु के मामलों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। चिंताजनक बात यह है कि समीक्षा बैठकों में यह हकीकत सामने आने के बावजूद सुधार के ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं।

यह चार जांचें हैं जरूरी - विशेषज्ञों के अनुसार पहली जांच गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर कराना जरूरी होती है। वहीं दूसरी जांच गर्भधारण के 14 से 26 सप्ताह बाद होनी चाहिए। तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह व चौथी जांच 36 सप्ताह से प्रसव काल तक कराई जानी चाहिए। इन जांचों में रक्तचाप, वजन, ऊंचाई, खून की जांच, शुगर, प्रोटीन सहित कई जरूरी परीक्षण किए जाते हैं, जिससे गर्भवती की स्थिति का सही आकलन हो सके।

स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं चल रही एएनसी क्लिनिक

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एएनसी क्लीनिक संचालित किए जाने थे। इन क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं की समय-समय पर जांच कर जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की निगरानी की जानी है, ताकि गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सके। जिले के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में एएनसी क्लीनिक प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। जिससे अभियान का उद्देश्य अधूरा रह गया है। गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

युवक की लाश तेंदू के पेड़ में लटकती पाई गई

पुलिस ने पंचनामा बनाकर कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुई शव को पीएम के लिए भेजा

नवभारत न्यूज

पहाडीखेरा 15 जून। पहाड़ीखेरा से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर हुरवा के जंगल में एक नौजवान का शव 8 से 10 फुट की ऊंचाई पर तेंदू के पेड़ से तौलिए में फांसी लगाकर लटका हुआ पाया गया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है।

यह घटना सप्ताह पूर्व की हो सकती है क्योंकि लाश सड़ चुकी थी जिसको देखने के लिए ग्राम लोढ़ाई बाईपास के गांव के लोगों का जमघट लग गया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक का नाम कामतापाल पिता जगदीश पाल उम्र 35 वर्ष ग्राम गिदुरहा थाना अजयगढ़ जिला पन्ना का निवासी बताया जा रहा लुहरहाई ग्रामके पाल समाज की माने तो मृतक तकरीबन 15 वर्षों से अपने मांमां के यहां रहता था व जंगल में बकरियां चराया करता था। यह तारीख 9 दिन मंगलवार की शाम से लापता था उसके मामा वगैरा जंगल में जाकर खोजबीन शुरू की तब दिनांक 15 सोमवार को उसकी लाश एक तेंदू के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकती मिली जिसकी सूचना स्थानी पुलिस प्रशासन पहाड़ी खेरा को दी गई घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी बृजपुर शक्ति प्रकाश पाण्डेय व चौकी प्रभारी पूर्णानंद मिश्रा मय स्टाफ के साथ घटनास्थल पर जाकर स्थानीय ग्राम वासियों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुई शव को पीएम के लिए जिला मुख्यालय पन्ना रवाना किया।

ऐसी अनहोनी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए शासन व प्रशासन को गंभीरता में लेते हुए पहाड़ी खेरा पुलिस चौकी में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए ऐसा ग्रामीण जनता की जिला प्रशासन प्रदेश सरकार व पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से मांग करती है जल्द से जल्द पहाड़ी खेरा में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए जिसके चलते अप्रिय अनहोनी घटनाओं को विराम दिया जा सके।

फर्जी दिव्यांगता में कानून सख्त, जांच में फंसे तो दो साल की जेल

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। फर्जी एवं संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ पाने एवं सरकारी नौकरियां प्राप्त करने वालों की बाढ़ सी आ चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न केवल राज्य सरकार अपितु भारत सरकार के भी संज्ञान में यह बातें आ चुकी हैं कि राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशो में नकली, फर्जी एवं गलत प्रतिशत के दिव्यांगता प्रमाण एवं फर्जी एवं संदिग्ध यूडीआईडी कार्ड जारी किये जा रहे हैं। लिहाजा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भारत सरकार इस मामले में कठोर दण्डात्मक प्रावधान किये हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने वाले के खिलाफदस हजार का अर्थदण्ड एवं पुनरावृत्ति होने पर 50 हजार से 5 लाख तक का अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार फर्जी प्रमाण पत्रो के आधार पर लाभ लेना प्रमाणित होने पर दो वर्ष का कारावास एवं 1 लाख दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

सरकारी नौकरियों से लेकर कई योजनाओं में उपयोग

ज्ञात हो कि फर्जी एवं संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का उपयोग विभिन्न तरीके से किया जा रहा हे। कुछ लोगों तो सरकारी नौकरियों में इसका उपयोग करने में सफल हो गये और वे किसी न किसी पद पर नौकरियां कर रहे हैं। कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार बन गया तो कोई तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी प्राप्त करने में सफल हो गया। किन्तु संबंधित विभागीय अधिकारी सब कुछ जानते हुये भी ऐसे फर्जी लोगों की दिव्यांगता का परीक्षण मेडिलक बोर्ड से नही करवाया। जहां करवाया भी गया वहां इसके परिणाम भी सामने आये। जहां ऐसे लोगों को नौकरियां छोडनी पड़ी। इसी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिये भी कई लोग फर्जी दिव्यांगता का सहारा लेते हैं। खास बात तो यह है कि 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण आसानी से तैयार हो जाता है। केवल जुगाड़ होना चाहिये और उसके लिये कुछ सेवा शुल्क होनी चाहिये। जिसकी आंख ठीक ठाक है वह भी 40 प्रतिशत की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। इसी 40 प्रतिशत की दिव्यांगता के आधार पर सरकार नौकरियां भी देती है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी। लिहाजा फर्जी दिव्यांग फायदा लेने में आगे हो जाते हैं जबकि वास्तविक दिव्यांग पीछे रह जाते हैं।

फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 27 को

पन्ना 15 जून। नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे-आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को होगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

मुख्य आरोपियों को बचाने का परिजनों का आरोप

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। गत 26 मई को पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में कुंआ धसकनें से पांच मजदूरों की मौत होने के लगभग एक माह होने जा रहे है और जिला प्रशासन मुख्य आरोपियों को बचाने के प्रयास कर रहा है।

जिससे आक्रोशित होकर आज मृतक के परिजनों ने एसडीएम एवं थाना प्रभारी अजयगढ़ को पत्र सौंपकर मुख्य रूप से जिम्मेदार सीईओ जनपद पंचायत सतीष नागवंशी, उपयंत्री आशीष विश्वकर्मा, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मृतक पांच मजदूरों के परिजनों द्वारा दिये गये पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 26 मई 2026 मंगलवार, सुबह 10.00 बजे स्थान नयापुरवा ग्राम पंचायत बीहरपुरवा जनपद पंचायत अजयगढ़ जिला पन्ना में मनरेगा के अन्तर्गत निर्मल नीर कूप के भिसकने से कुएँ के अन्दर खुदाई कर रहे पाँच मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हुई थी। वर्तमान में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, बी0एन0एस0 की धारा 105 3(5) के तहत तथा सरपंच पति संतोष पटेल गिरफ्तार हो चुके है एवं अन्य सह आरोपी सरपंच श्रीमती सरोज पटेल, ठेकेदार रामबाबू पटेल को गिरफ्तार कराया जाय।

अतिरिक्त गंभीर तथ्य आये सामने

निर्मल नीर कूप निजी भूमि पर स्वीकृत था (ग्राम पंचायत नियमों के विपरीत) निर्माणाधीन कूप 2025 में पहले भिसक गया था यह रिकार्ड में एक साल से काम ठप्प रहा। 02 मई 2025 तक मजदूरी मद में निर्धारित 2,26,000 में से 1,98,264 व्यय दिखाया गया जबकि खुदाई ही पूरी नहीं हुई यानि रिकार्ड में फर्जी काम दिखाया गया, सामग्री के फर्जी बिल बनाये गये देयकों का अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रमाणीकरण किया गया। निवेदन है कि धाराओं में वृद्धि करते हुये वर्तमान बी0एन0एस0 की धारा 105, 3(5) के साथ प्रकरण में अन्य सुसंगत धाराएँ जोड़ी जायें विशेष रूप से फर्जीवाड़ा, धोखा धड़ी रिकार्ड छिपाकर गंभीर दुर्घटना में वृद्धि और अधिकृत नियमों का उल्लंघन करने सम्बंधी धाराएँ बढ़ाई जाये।

नेशनल हाइवे मरम्मत के बाद भी बदहाल

पन्ना 15 जून। जिले में सड़कों की हालत इन दिनों बेहद खराब है। मरम्मत में मनमानी से राष्ट्रीय राजमार्ग-39 की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इधर पन्ना अजयगढ़ स्टेट हाइवे में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। जिससे जिले में सड़कों का सफर लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। सकरिया से पन्ना तक एनएच-39 पर एक हजार से ज्यादा गड्ढे है। वहीं मड़ला घाटी क्षेत्र में आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। हादसों से घाटी में कई कई घंटों तक जाम के हालात बने रहते हैं। एनएच-39 में मोहन निवास चौराहा से सकरिया तक मार्ग में आधा सैंकडा से ज्यादा गहरे गड्ढों में वाहन फंसने से यात्रियों को झटके लगते हैं और कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। सड़क की उपरी डामर परत कई जगह से उखड़ चुकी है।

दुकान से दोगुना सामान सड़क पर

अतिक्रमण के चलते सड़कों पर चलना हो रहा मुश्किल

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। नाम मात्र के लिए छोटी सी दुकान लेकर दुकान की क्षमता से कई गुना अधिक माल लाकर व्यापारी दुकान के बाहर अपनी दुकानदारी सजा लेते हैं ऐसा एक दो दुकानदार नहीं बल्कि 90 प्रतिशत दुकानदार कर रहे हैं। जिस कारण सड़कों में दुकानदारी चलने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है आये दिन बैठकों में रणनीति बनती है दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं जो बैठक के बाद स्वमेव समाप्त हो जाते हैं।

पक्की दुकान वाला दस फिट आगे तक दुकान बढ़ाने का आदी है तो फुटपाथ में दुकान करने वाला सड़क पर ही बैठककर दुकानदारी करना चाहता है। ऐसी स्थिति में कई चौराहों से लेकर मुख्य सड़कों में आये दिन जाम की स्थिति पैदा होती है। किन्तु अतिक्रमण के नाम पर जब कार्रवाई करता है तो उसे यह सब दिखाई नहीं देता। वह शहर के अंतिम छोर में पहुच जाता है किन्तु वह चौराहों व शहर के अंदर की सड़कों की तरफनही देखता।

स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में चल रहा सब कुछ:- नगर पालिका के पास कोई ऐसी टीम ही नहीं है जो इस तरह के मामले में नजर रख सके। बल्कि जो है भी वह वसूली करने वाली टीम है। इसलिये सड़कों पर दुकानदारी संरक्षण के कारण ही होती है। क्या शहर में दुकानदारों के लिये भी कोई नियम हैं? क्या पक्की दुकानों वाला दुकानदार दुकानों के बाहर सामग्री रखकर मनमानी कर सकता है? क्या फुटपाथ में दुकान करने वाले कहीं भी स्थायी अड्डा बनाकर दुकानदारी कर सकते हैं ? क्या एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद वहां वहीं फिर से दुकानदारी शुरू हो जती है तो ऐसे लोगों के खिलाफकार्रवाई नहीं होनी चाहिये? ऐसे सवाल इसलिये उठते हैं क्योंकि नगर पालिका की जो कार्यप्रणाली है।

वह या तो आज तक प्रभावशाली नहीं बन पाई अथवा मनमानी करने वालों को संरक्षण देने वाली है। यही कारण है कि सड़कों का आकार दुकानदारों के चलते संकरा व तंग हो जाता है। जो बचता है उसे नो- पार्किंग वाले वाहन पूरा कर देते हैं। इसलिये आये दिन जाम की स्थिति और आम जनता को पैदल चलना भी मुश्किल भरा हो जाता है।

जनजातीय युवाओं ने जुगाड़ से बनाई अपनी व्यायाम शाला

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। वन परिक्षेत्र कल्दा के ग्राम महुआडोल से वनरक्षक वीरेंद्र पटेल द्वारा साझा किया गया एक प्रेरणादायक वीडियो नवयुवक इंद्रकुमार आदिवासी के अदम्य उत्साह, परिश्रम एवं संकल्प की कहानी बयां करता है।

सीमित संसाधनों और सुविधाओं के अभाव के बावजूद उन्होंने अपने शारीरिक विकास और फिटनेस के प्रति समर्पण को बनाए रखा है। इंद्र कुमार ने ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग वेट प्लेट्स एवं डम्बल के रूप में, बांस एवं लकड़ी की बल्लियों का उपयोग जिम रॉड के रूप में तथा पुराने थैले का उपयोग पंचिंग बैग के रूप में करते हुए स्वयं के लिए एक देशी व्यायामशाला तैयार की है। उनका यह जज़्बा न केवल स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो सीमित साधनों में भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

जिला जेल पन्ना में सप्ताहव्यापी योग अभियान का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर 15 से 21 जून तक सप्ताहव्यापी योग अभियान के तहत आज जिला जेल पन्ना में योग शिविर का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजकुमार गौड़, जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन, जेल अधीक्षक गणेश प्रसाद सिंह तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने योगाभ्यास कर नियमित योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित बंदियों एवं जेल स्टॉफ को योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों की जानकारी दी गई तथा उन्हें प्रतिदिन योग करने के लिये प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि योग तनाव मुक्ति, आत्मानुशासन एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का प्रभावी माध्यम है और कारागारों में योग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। आगामी 21 जून तक प्रतिदिन जिला जेल पन्ना में योग एवं वेलनेस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे बंदियों एवं जेल कर्मचारियों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

को-ऑपरेटिव बैंक ने जल संवर्धन कार्य के लिए 51 हजार की राशि कलेक्टर को सौंपी

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जून। जिला मुख्यालय में स्थित ऐतिहासिक तालाबों में जल संवर्धन के तहत जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जिसके लिये कलेक्टर पन्ना श्रीमति ऊषा परमार द्वारा विभिन्न विभागों से भी सहयोग की अपील की थी।

जिसके परिपालन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के महाप्रबंधक एस.के.कनौजिया एवं प्रबंधक अमित श्रीवास्तव द्वारा विभागीय कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की और सभी ने मिलकर 51 हजार रूपये की राशि एकत्रित कर जल संवर्धन कार्य हेतु महाप्रबंधक श्री कनौजिया ने आज कलेक्टर पन्ना को सौंप दी है।